प्रेस विज्ञप्ति

30/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 28/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में नगर परिषद, भिवानी के पूर्व अध्यक्ष रण सिंह यादव (जिन्हें इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड बताया गया है) और बिचौलियों, बैंक अधिकारियों और निजी लाभार्थियों सहित कई अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध नगर परिषद, भिवानी से संबंधित सरकारी धन के बड़े पैमाने पर गबन के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने शिकायत स्वीकार कर ली है और संज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत नगर परिषद, भिवानी के विभिन्न अधिकारियों, एक निजी बैंक के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ नगर परिषद, भिवानी के सरकारी धन के गबन के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसे विभिन्न नागरिक परियोजनाओं के लिए आबंटित किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि नागरिक विकास परियोजनाओं के लिए आबंटित लगभग 12.97 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि नगर परिषद के अधिकारियों और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके निजी फर्मों के खातों में भेज दी गई। गौरतलब है कि प्राप्तकर्ता फर्मों में से किसी को भी नगर परिषद, भिवानी द्वारा कोई कार्य ठेका नहीं दिया गया था।

मामले के संबंध में, ईडी पहले ही दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी कर चुका है, जिसमें आरोपियों—नगर निगम भिवानी के पूर्व अध्यक्ष रण सिंह यादव, विनोद गोयल (कथित बिचौलिया), नितेश अग्रवाल (एक्सिस बैंक मैनेजर), और अन्य सह-षड्यंत्रकारियों—की अचल संपत्तियों को 7.45 करोड़ रुपये में कुर्क किया गया है। इनमें से एक पीएओ की पुष्टि पीएमएलए के तहत माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जा चुकी है, जबकि दूसरे पीएओ के संबंध में मूल शिकायत लंबित है।

अपराध के और अधिक आगमों का पता लगाने और लाभार्थियों के पूरे नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जाँच जारी है।